चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ

सम्बद्ध महाविद्यालयो में एम.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु

आवश्यक निर्देश

(एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2015–17 में प्रवेश हेतु)

1. विश्वविद्यालय द्वारा इन्टरनेट पर जारी निर्धारित आवेदन–पत्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में प्रस्तुत कोई भी आवेदन–पत्र मान्य नहीं होगा। **विश्वविद्यालय को आवेदन–पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें जायेंगे।** आवेदन पत्र किसी भी दशा में व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय में जमा नहीं होंगे। आवेदन–पत्र जमा किये जाने के पश्चात् कोई भी संलग्नक किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट से दिनांक 21 अप्रैल 2017 से डाउनलोड किये जायेंगे। आवेदन पत्र डाउनलोड करने की **अन्तिम तिथि दिनांक 20 मई 2017 है आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी, समस्त संलग्नकों सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से विश्वविद्यालय पहुँचने की अन्तिम तिथि 25 मई 2017 है, प्रवेश परीक्षा दिनांक 11 जून (दिन– रविवार) 2017 को आयोजित की जायेगी।**
2. **प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यक अर्हता सम्बन्धी नियमों को भंली–भांति पढ़कर/समझकर ही आवेदन करें। अर्हता सम्बन्धी किसी भी कमी के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा और इस हेतु किसी भी प्रकर के वाद या परिवाद की स्थिति अमान्य होगी।**
3. **यदि किसी अभ्यर्थी का अर्हता सम्बन्धी नियमों या अन्य किसी आवश्यक नियम के पूर्ण न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा किया गया शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वापस नही किया जायेगा।**
4. **यदि आप आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर रहे है तो आरक्षित श्रेणी हेतु जैसा प्रमाण पत्र इन्टरनेट पर दिया गया है, उसी प्रारूप में प्रमाण पत्र बनवाकर अवश्य लगायें,** इसके बिना आपको आरक्षित श्रेणी का लाभ नही मिलेगा। यदि आप अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी है, तो जाति प्रमाण पत्र में इस बात का अवश्य उल्लेख हो, कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नही आता है।
5. एम.एड. कक्षा में प्रवेश, उ0प्र0 शासन / एन.सी.टी.ई./विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगा।
6. **आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in OR www.ccsuniv.net पर आनलाईन भरा जायेगा।**

(क) **अभ्यर्थी कम्प्यूटर प्रति पहले क्रम पर रखकर कर शैक्षिक प्रमाण पत्रो व अन्य प्रमाण पत्रो की छायाप्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड्र डाक से भेजेगा।**

(ख) आवेदन पत्र भरते समय प्रवेश परीक्षा का शुल्क **ऑनलाईन भुगतान ATM Cum क्रेडिट व डेबिट कार्ड (वीजा या मास्टर या मेस्ट्रो कार्ड)** द्वारा किया जायेगा

(ग) अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर को स्केन कराकर आवेदन पत्र मे अपलोड करेगें।

(घ) अभ्यर्थी एम.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र प्रेषित नही किया जायेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिये अभ्यर्थी को फार्म नम्बर तथा पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। अभ्यर्थी फार्म नम्बर एवं पासवर्ड को अवश्य नोट करके रख लें। उसी फार्म नम्बर तथा पासवर्ड के माध्यम से ही प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in से लिखित परीक्षा से 02 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से भी प्रसारित की जायेगी।

(ङ) एम.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी सूचनायें जैसे प्रवेश परीक्षा का परिणाम, मेरिट लिस्ट तथा काउंसलिंग कार्यक्रम समय–समय पर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(च) मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अपनी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कार्यक्रमानुसार (जैसा कि समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा) निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने शैक्षिक एवम् अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों व निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित काउंसलिंग स्थल पर पहुँचकर काउंसलिंग में सम्मिलित होना होगा। काउंसलिंग के लिये अलग से कोई बुलावा पत्र डाक द्वारा अभ्यर्थियों को प्रेषित नही किया जायेगा। काउंसलिंग कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित न हो पाने पर प्रवेश से वंचित होने का समस्त उत्तर दायित्व स्वयः अभ्यर्थी का होगा, विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

7. **योग्यतानुसार प्रवेश :**

अभ्यर्थी का प्रवेश उसके द्वारा एम.एड. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों व हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक प्राप्त श्रेणी के अनुसार आवंटित अंकों (शासनादेश सं0–244/15–11–92–3 (58)/79 दिनांक दिसम्बर–1992 के अनुसार) को जोड़कर कर, मेरिट सूचकांक तैयार किया जायेगा। **उदहारणः** यदि किसी अभ्यर्थी ने एम.एड. प्रवेश परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किये है तथा उसके हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर उपाधि के श्रेणी के अनुसार आवंटित अंक **38** है (जैसे–हाईस्कूल में प्रथम श्रेणी के लिए **5** अंक + इण्टर में तृतीय श्रेणी के लिये **1** अंक + स्नातक में प्रथम श्रेणी के लिए **10** अंक + बी.एड. में (केवल सैद्धान्तिक) द्वितीय श्रेणी के लिए **7** अंक + स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी के लिए **15** अंक) तब कुल मेरिट सूचकांक **180+38 =218** होगा।

नोटः एम.एड. प्रवेश परीक्षा कुल 250 अंकों के लिए सम्पन्न, कराई जायेगी, जिसमें शासनादेश सं0–244/15–11–92–3 (58)/79 दिनांक दिसम्बर 1992 के अनुसार तीन विषयों, मानसिक योग्यता, विषय अभिक्षमता (बी.एड. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न) तथा भाषा योग्यता पर आधारित कुल 250 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा की समय अवधि 3 घण्टे की होगी।

6. वरिष्ठता सूची में से यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई है अथवा किसी के विरूद्ध आपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निष्कासित किया गया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित प्राचार्य को होगा, जिसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि कोई चयनित विद्यार्थी सेवारत है तो उसे अपने विभाग से सेवा से एक वर्ष

का अवकाश दिये जाने का प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय देना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय की जाँच में यदि ऐसा कोई विद्यार्थी पाया गया तो उसके एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8. **स्थानों का आरक्षण :–**

प्रत्येक महाविद्यालय में एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण पिछडे वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के क्रमशः 27 प्रतिशत, 21 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की सीमा तक किया जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक समूह में 3 प्रतिशत की सीमा तक किया जायेगा। विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत तक की विकलांगता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कोई स्थान आवेदकों के अभाव में नही भर पाता हैं, तो ऐसे स्थान अनुसूचित जाति वर्ग को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। यदि अनुसूचित जाति को भी स्थान देने पर स्थान अवशेष रहते है, तो सामान्य वर्ग को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।

9. प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में ही प्रवेश दिया जा सकता है। यदि मेरिट सूची के अनुसार अर्ह प्रदेश के बाहर के छात्र उपलब्ध नहीं होते है तो सामान्य श्रेष्ठता सूची के आधार पर रिक्तियां भरी जायेगी।

10. उ0प्र0 सरकार के शिक्षा अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना आदेश दिनांक 5 मई, 1987 के प्रावधान के अनुसार चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आश्य का प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक–बधिर या अन्य किसी ऐसी ब्याधि से ग्रस्त नही है जिसके बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो या अध्यापक होने के आयोग्य नही है।

11. **परीक्षा शुल्कः–**

आवेदन पत्र भरते समय सामान्य जाति व अ0पि0वर्ग व अन्य राज्य के अभ्यर्थी **रूपये 700/–** का तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी **रूपये 500/–** की राशि का **ऑनलाईन भुगतान ATM Cum क्रेडिट व डेबिट कार्ड (वीजा या मास्टर या मेस्ट्रो काडे)** द्वारा किया जायेगा । इसके आभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12. आवेदन पत्र ए–4 साईज के लिफाफे में भेजे जायेंगे, भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से, **प्रवेश परीक्षा हेतु <u>शहर का नाम</u> तथा <u>"एम.एड. सत्र 2015–17 प्रवेश परीक्षा, हेतु आवेदन पत्र"</u>** अवश्य लिखा होना चाहिये।

13. आवेदन पत्र भेजने का पता :– **चैयरमेन,**
"एम.एड. प्रवेश परीक्षा, सत्र 2015–17"
शिक्षा विभाग
चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ– 250004 (उत्तर प्रदेश)

नोट :– जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक व बी.एड. अथवा अन्य कोई डिग्री इस आश्य हेतु ऐसे बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, जहां पर अंकों के स्थान पर ग्रेड दिये जाते है। वे अभ्यर्थी ग्रेड को अंकों में Convert करने की प्रक्रिया का प्रमाण पत्र सम्बन्धित बोर्ड के सचिव व विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी किया गया हो अथवा अंकतालिका के ओवरलीफ की छायाप्रति अवश्य सलंग्न करें।

एम.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हताएं

1. (अ) द्विवर्षीय एम.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमो उपाधियो मे से एक उपाधि मे कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए–

   (i) बी.एड.

   (ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

   (iii) बी.एल.एड

   (iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

   (ब) अजा /अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

   (स) ऐसे उपाधि धारक जिन्होने सत्र 2015–17 में बी.एड./ बी.ए.बी.एड/ बी.एससी.बी.एड/ बी.एल.एड/ अवर स्नातक उपाधि के साथ डी. एल. एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक) उपाधि प्राप्त की है, वे एम0एड0 पाठयक्रम सत्र 2015–17 में प्रवेश हेतु अर्ह नही होंगे।

2. एम.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जायेगा, जिन अभ्यर्थियों की बी.एड./बी.एल.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड/ अवर स्नातक उपाधि के साथ डी. एल. एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक) पूर्ववर्ती सत्र की उपाधि, एम.एड. कक्षा में प्रवेश हेतु मेरिट सूचकांक तैयार करने से पूर्व, पूर्ण हो चुकी होगी, परन्तु यह उपाधि सत्र 2015–17 मे उत्तीर्ण नही की हो, तथा अभ्यर्थी एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र/बी.एड. विभाग में प्रवक्ता नियुक्त होने हेतु एम.एड. को छोड़कर अन्य अर्हतायें पूर्ण करते हों।

3. तीन वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एस–सी./बी.कॉम,/ बी.ए./वी.वी.ए./बी.सी.ए. इत्यादि) ही एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्य होगी। यदि किसी छात्र ने दो वर्ष की स्नातक उपाधि हासिल की है, तो वे बिना ब्रिज कोर्स के अर्ह नहीं होंगे या उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।

4. यदि किसी छात्र ने स्नातक की उपाधि प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है और बी.एड. की उपाधि प्रदेश में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो ऐसे छात्र अधिनिवास प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रदेश से बाहर (अन्य राज्य) के छात्र के रूप में अनुमन्य किया जायेगा, चाहें उसने आवेदन पत्र में पता प्रदेश के किसी भी नगर या गाँव या जनपद का दिया हो। एम.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र करते समय अभ्यर्थी के पास अन्तिम तिथि से पूर्व का अधिनिवास प्रमाण पत्र (Domecile)/जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता का प्रमाण पत्र/अन्य कोई प्रमाण पत्र एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की घोषणा की तिथि को होना चाहिए। **अधिनिवास प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।**

5. **उ0प्र0 के अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष का ही बना हुआ जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर (जैसा इन्टरनेट पर उपलब्ध है) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। पति के नाम का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिन शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है उनका साक्ष्य (अंक पत्र की छाया प्रति) अनिवार्य रूप से आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ किसी भी शैक्षिक योग्यता का अंक पत्र संलग्न नही करता है, तो उस शैक्षिक योग्यता के लिये शैक्षणिक अंक आवंटित नही किये जायेंगे। एम.एड. प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरान्त शैक्षणिक अंकों के लिये कोई भी शैक्षिक अभिलेख मान्य नही होगा।
7. चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रवेश नियमावली के अनुरूप अमान्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों से निर्गत विद्यालयी प्रमाण–पत्र (कक्षा 10 व 12) व स्नातक/परास्नातक स्तर की उपाधि के आधार पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्य नही होगा। ऐसे बोर्ड व विश्वविद्यालयों की सूची निम्नवत् है :–

अमान्य बोर्ड

1. Central Board of Higher Education, Aspati Bhawan, Uttam Nagar, New Delhi.
2. All India Board of Secondary Education, Gazipur
3. Central Board of Higher Education, East Patel Nagar, New Delhi.
4. Board of Adult Education and Training, Brahmpuri, Nagal Rai, New Delhi.
5. Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan, New Delhi.
6. ACN International University, Raipur
7. Doon International University, Raipur
8. Board of Higher Secondary Education, Delhi
9. Indian Council of Secondary Education, India
10. All India Board for Education Training, Delhi
11. All India Board for Secondary Education, Azadpuri, Delhi
12. Board of Adult Education & Tarining, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi
13. Central Board of Higher Education, Delhi
14. Jamia Urdu, Aligarh
15. Gurukul Vishvavidyalaya Vrindaban, Mathura
16. Council of Secondary Education, Mohali
17. Mahashakti Sanskrit Vidyapeeth, Delhi
18. Council for the Indian Certificate Examination, Delhi
19. Bhartiya Shiksha Parishad, Lucknow
20. Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow
21. Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad
22. Mumbai Hindi Vidyapeeth, Mumbai
23. The Central Board of Higher Education, New delhi
24. Dr. Ramgopalacharya Sanskrit Mahavidalaya, Etah, U.P.
25. Board of Secondary Education Madhya Bharat, Gwalior
26. Council of Secondary Education Board, Mohali
27. Mahatma Gandhi Secondary and Senior Secondary Education Board, Delh
28. Board of Secondary and Higher Secondary Open Education, West Bengal
29. Board of Youth Education, India

30. The Council of Basic and Technical Education, Ludhiana
31. Shiksha Parishad Madhyamic, Gwalior
32. Central Board of Education, Ajmer
33. Council of Higher Secondary Education, Delhi
34. Board of Secondary Education Madhya Bharat, Gwalior
35. Delhi Board of Senior Secondary Education, Delhi
36. Board of Technical and Secondary Education, Delhi
37. Council of Higher Secondary Education, Delhi
38. Indian Council Open School Certificate Examination, Maharashtra
39. Mahakoshal Board of Secondary Education, Jabalpur
40. National Board of Higher Secondary Education, Delhi
41. Board of Higher Secondary Open Education, Delhi
42. Board of School and Technical Education, Chhatisgarh
43. Board of Senior Secondary Education
44. Delhi Board of Senior Secondary Education
45. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/इलाहाबाद
46. ए०सी०एन० इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर।

अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची (As per UGC)

1. Maithili University, Darbhanga, Bihar
2. Varanseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Delhi
3. Commercial University Ltd, Delhi
4. United Nations University, Delhi
5. Vocational University, Delhi
6. ADR- Central Juridical University, Delhi
7. Indian Institution of Science and Engineering, Delhi
8. Badagnavi Sarkar World Open Educational Society, Belgaum, Karnataka
9. St. John's University, Kishanattam, Kerala
10. Kesarwani Vidyapith, Jabalpur, Madhya Pradesh
11. Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra
12. D D B Sanskrit University, Putur, Trichy, Tamil Nadu
13. Indian institute of Alternative Medicine, Kolkata, West Bengal
14. Mahila Gram Vidyapith, Allahabad, Uttar Pradesh
15. Gandhi Hindi Vidyapith, Allahabad, Uttar Pradesh
16. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur, Uttar Pradesh
17. Netaji Subhash Chandra Bose University, Aligarh, Uttar Pradesh
18. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh
19. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh
20. Indraprastha Shiksha Parishad, Noida-Phase II, Uttar Pradesh
21. Gurukul Vishwavidyalaya, Mathura, Uttar Pradesh
22. Indian Education Council of U.P., Lucknow (U.P.)
23. Nababharat Shiksha Parishad, Anupoorna Bhawan, Plot No. 242, Pani Tanki Road, Shaktinagar, Rourkela - 769014

उत्तर प्रदेश सरकार
<u>शिक्षा (11) अनुभाग संख्या : 244/15-11-92-3 (58)/79</u>
<u>लखनऊ : दिनांक दिसम्बर, 1992</u>

अधिसूचना आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय पुनः अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियम 1973 (उ0प्र0) अधिनियम सं0 29/1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय उपर्युक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में एम.एड. उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित नियमावलियों एवं अधिसूचना संख्या 451/15-11-87-3(58)/79 दिनांक 5 मई, 1987 के अध्याय -3 (एम.एड.) कक्षाओं में प्रवेश में उल्लिखित सभी उपबन्धों पैरा 15 से 19 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते है :-

अध्याय-5
एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश

15. इस अध्याय के उपबंध राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक महाविद्यालयों में एम.एड. कक्षाओं में शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

16. कोई भी व्यक्ति एम.एड. शिक्षण पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं कर पायेगा, जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संचालित बी.एड. की उपाधि अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो जैसे एल.टी. और बी.टी.।

17.प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने शिक्षा विभाग तथा सम्बद्ध/संघटक/संघटक महाविद्यालयों में एम.एड. कक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करायेगा। यह परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी।

18. प्रवेश परीक्षा शुल्क, जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।

19. प्रवेश परीक्षा निम्न विवरणानुसार 3 घन्टे की होगी और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 250 प्रश्न होंगे :-

क्रम0 सं0	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक
अ	मानसिक योग्यता	100	100
ब	विषय अभिक्षमता (बी.एड.)	100	100
स	भाषा योग्यता	50	50
	कुल योग	250	250

20. **प्रवेश परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाले वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए अर्ह माने जायेंगे।** (यह शर्त शासनादेश संख्या-271/सत्तर-2-2014-16(400)/2013, दिनांक 02 जून, 2014 के अनुसार शिथिलनीय है)।

21. **अर्ह अभ्यर्थियों को उनके शैक्षिक अभिलेख के आधार पर अधिकतम 50 अंकों में से निम्न विवरणानुसार अंक आवंटित किये जायेंगे। :-**

उत्तीर्ण परीक्षा	प्रथम श्रेणी	55% तथा अधिक	द्वितीय श्रेणी या 55% से कम	तृतीय श्रेणी
हाईस्कूल	5	3	3	1
इण्टरमीडिएट /+2	5	3	3	1
स्नातक	10	7	5	2
बी.एड. या समकक्ष (सैद्धान्तिक)	15	11	7	3
स्नातकोत्तर	15	11	7	3

22. अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट उनके द्वारा प्राप्त अंकों (अर्थात् लिखित परीक्षा, शैक्षिक अभिलेख) के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

23. अध्याय 2 के पैरा 5,6,13, तथा 14 के उपबन्ध इस अध्याय के अधीन प्रवेश पर भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(सुबोध नाथ झा)
सचिव, उच्च शिक्षा

आरक्षित श्रेणियों के नाम

1. सामान्य जाति
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जन–जाति
4. अन्य पिछडा वर्ग
5. सामान्य श्रेणी विकलांग
6. अनुसूचित जाति विकलांग
7. अनुसूचित जन–जाति विकलांग
8. अन्य पिछडा वर्ग विकलांग
9. अन्य राज्य वर्ग

लिखित परीक्षा हेतु शहर के नाम

1. बुलन्दशहर
2. गाजियाबाद
3. मेरठ
4. मुजफ्फरनगर
5 गौतमबुद्ध नगर
6 सहारनपुर

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों की सूची जिनमें द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम उपलब्ध है :–

(अ) सरकारी अनुदानित महाविद्यालयों की सूची

(1) मेरठ कालिज, मेरठ
(2) एन.ए.एस. कालिज, मेरठ
(3) जे.वी. जैन कालिज, सहारनपुर
(4) वी.एम.एल.जी. कालिज, गाजियाबाद (केवल लडकियों के लिये)

(ब) स्ववित्त पोषित संस्थानों/महाविद्यालयों की सूची

एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त एवम् विश्वविद्यालय से सम्बद्व स्वःवित्त पोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षको का शासनादेश संख्या–5125/सत्तर–2–2005–2(166)/2002टी0सी0 दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 में निर्देशित प्रावधानों के अनुसार सत्यापन के उपरान्त एन.सी.टी.ई. के मानको के अनुरूप अर्ह एवं संख्या में शिक्षक पूर्ण होने पर अथवा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार काउंसलिंग के समय स्वःवित्त पोषित संस्थानों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

विकलांगता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा श्री .... शारीरिक रूप से ....% विकलांग है, परन्तु विकलांगता का उनके शिक्षक सम्बन्धी उत्तरदायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांकः ....

हस्ताक्षर सील सहित
जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी

....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की .... जाति के/की है। यह जाति (..................................) (संशोधित आदेश) 1956 के अन्तर्गत मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हैं।

दिनांकः ....

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधिकारी/तहसीलदार

....

अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा .... निवासी .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की पिछडी जाति के/की है। यह जाति (..................................) जो (सुसंगत) शासनादेश के अन्तर्गत मान्य पिछडी जाति है तथा अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आच्छाछित नहीं है।

दिनांकः ....

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधिकारी/तहसीलदार

....

उत्तर प्रदेश के मूल/स्थायी निवास का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा .... निवासी .... जिला .... उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मापदण्डों का भली–भांति जांच कर ली गयी है। मैं जांच से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

दिनांकः ....
स्थान :..................................

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट
पूरा नाम
पदनाम
मोहर

जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिलाधिकारी/परगना अधिकारी/
तहसीलदार/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा
जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।